जागरूक रहें

मेरे पास ऐसी पार्ट टाइम नौकरी है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। बहुत आसान सी पार्ट टाइम नौकरी, जिसमें साधारण से काम के बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, अक्सर इस तरह की नौकरियां संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों से जुड़ी हो सकती हैं।

पालन करें

इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति एवं समूह अक्सर ऐसे ही व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं, जो अनजाने में ऐसी नौकरी कर लेते हैं। इस तरह की पार्ट टाइम नौकरी देने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से बचें अथवा ऐसी संदिग्ध नौकरी ना करें।

बूढ़े व्यक्तियों से उनका सामान इत्यादि छीन लेना, कोईन लॉकर से दूसरे व्यक्ति का सामान चोरी कर लेना, दूसरे व्यक्ति के कैश कार्ड का उपयोग करके पैसे निकालना, दूसरे व्यक्ति के अपार्टमेंट से वस्तु इत्यादि चोरी करना अपराध है ।

जागरूक रहें

बैंक का कैश कार्ड, मोबाइल फोन, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, विद्यार्थी पहचान पत्र इत्यादि किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना, देना, उधार देना अथवा उनसे ख़रीदना, माँगना या उधार माँगना वर्जित हैं।

पालन करें

बैंक कैश कार्ड, पासबुक मोबाइल फोन (सिम कार्ड के साथ) दूसरों को न बेचें और न ही उपयोग के लिए दें, यह वर्जित है। इसे खरीदने वाले और बेचने वाले व्यक्ति , दोनों पर ही पुलिस कार्यवाही करेगी।

अपने देश वापस जाते समय अथवा उपयोग समाप्त करते समय, बैंक या टेलीफोन की दुकान पर जाकर बैंक अथवा टेलीफ़ोन सेवाओं से सम्बंधित काईयाकु (समझौते को समाप्त करने) का आवेदन ज़रूर दें। किसी दूसरे व्यक्ति का स्वास्थय बीमा कार्ड, विद्यार्थी पहचान पत्र इस्तेमाल करना वर्जित है अथवा किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देना भी वर्जित है ।

जापान के नियमों से जागरूक रहें एवं पालन करें।

ひょうごけんけいさつ

HYOGO PREFECTURE POLICE

हिन्दी

जागरूक रहें

किसी दूसरे व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग (नाम, नंबर इत्यादि) करके ऑनलाइन खरीदारी करना वर्जित है।

पालन करें

सोशल मीडिया इत्यादि पर ऐसी बहुत सी पार्ट टाइम नौकरियां उपलब्ध है, जो आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। इसमें ऐसी कुछ पार्ट टाइम नौकरियां प्रमुख है, जिसमें कि कुछ शॉपिंग करने या करवाने के बाद, आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति जो कि शॉपिंग करते या करवाते हैं उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। किसी दूसरे व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड (नाम, नंबर इत्यादि) का उपयोग (शॉपिंग इत्यादि) करना वर्जित है चाहे यह जानकारी आपके मित्र द्वारा ही क्यों ना उपलब्ध करवाई गई हो।

जागरूक रहें

नक़ली निवास कार्ड को :-

अपने पास रखना वर्जित है। खरीदना वर्जित है।

बनाना वर्जित है। उपयोग करना वर्जित है।

पालन करें

निवास कार्ड बहुत जरूरी वस्तु है। नक़ली निवास कार्ड को अपने पास रखना, खरीदना, बनाना अथवा उपयोग करना वर्जित है। ऐसा करने पर पुलिस आपको पकड़ लेगी।

सोशल मीडिया इत्यादि पर नकली निवास कार्ड के ख़रीदने तथा बेचने का विज्ञापन / पोस्ट देखने के बावजूद भी नकली निवास कार्ड खरीदना वर्जित है।

आपके अपने निवास कार्ड पर लिखी हुई जानकारी को खुद से ही बदलना वर्जित है।

जागरूक रहें

बिना पैसे का भुगतान किए दुकान से समान बाहर ले जाना वर्जित है। किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु, जो कि कहीं गिर गयी हो अथवा छूट गयी हो, उसे उसी स्थान पर छोड़ दें तथा उसको अपना ना समझे। अगर ऐसा किया तो यह एक अपराध होगा।

पालन करें

दुकान में रखी वस्तु, किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को चोरी करना वर्जित है। सबसे छुपते छुपाते हुए किसी दुकान से चोरी करना, चोर को भगाने में मदद करना तथा चोरी करने में किसी चोर की मदद करना भी एक अपराध है।

दूसरे व्यक्ति की साइकिल का इस्तेमाल वर्जित है।

किसी व्यक्ति की गिरी हुई वस्तु को अपना समझ कर अपने पास रखना वर्जित है। कृपया उसे पुलिस थाने में जमा करवा दें।